नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक......091638

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 7007 दिनांक 21/02/2018

कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटी उत्तर प्रदेश कानपुर

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या K-2099 पत्रावली संख्या K-47454 दिनांक 17/02/2018

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान, सिविल लाइन्स(फूस बंगला) फतेहगढ़, जनपद--फर्रुखाबाद(उ0प्र0) को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 1185/2012-13 दिनांक 18/02/2013 को दिनांक 18/02/2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000/- रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 17/02/2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

मु0 एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0/डी0/आफसेट)।

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :– मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान।
2. संस्था का पता :– सिविल लाइन्स (फूस बंगला), फतेहगढ, जनपद फर्रुखाबाद (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश संस्था का कार्यक्षेत्र होगा,

4. संस्था के मुख्य उद्देश्य :–

1. शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक विद्यालय/महाविद्यालय को खोलना चलाना व चालू रखना।
2. विद्यार्थियों हेतुरोजगार पूरक विषयों व संकायों की सम्बद्धता महाविद्यालय में लेना।
3. संस्था द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करना।
4. संस्थाओं में छात्र–छात्राओं की सुरक्षा हेतु आवासीय सुविधा प्रदान करना।
5. समिति द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, शोध केन्द्र, मेडिकल कालेज एवं पैरा मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, डेन्टल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, नर्सिंग कालेज, फार्मेसी संस्थायें, महाविद्यालय आदि को नियमानुसार स्थापित व संचालित करना।
6. समिति द्वारा हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, रिसर्च सेंटर आदि खोलना, उन्हे संचालित करना तथा उनका प्रबन्ध करना।
7. चरित्रवान तथा शुभ आचरण करने वाले अध्यापकों, प्राध्यापकों शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करना जो शिष्यों तथा विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय, गवेषणा कार्य, बौद्धिक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दक्ष्या आधुनिकतम शिक्षण देने के योग्य हों।
8. विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ और समालोचनात्मक मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।
9. समिति की विषय वस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्ययन, अन्तरण तथा अन्य लेन देन करना तथा उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित कराना।
10. दान, उपहार, अनुदान, तथा अन्य भेंटों को स्वीकार करना तथा उन्हें संस्था के प्रयोजनों के लिये व्यवहार में लाना।
11. इस समिति के आधीन संस्थापित या स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के साधारण व देखरेख में होने वाले व्यय तथा अन्य परिव्ययों की पूर्ति के लिये संयत शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क लेना।
12. शिष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और सन्नद करना कि वे शिष्ट और सामान्य जीवन पथ अपनाने के लिये आत्मनिर्भर हो सकें और अच्छे स्वस्थ्य और प्रगतशील नागरिक बनें।

सत्यापित प्रतिलिपि

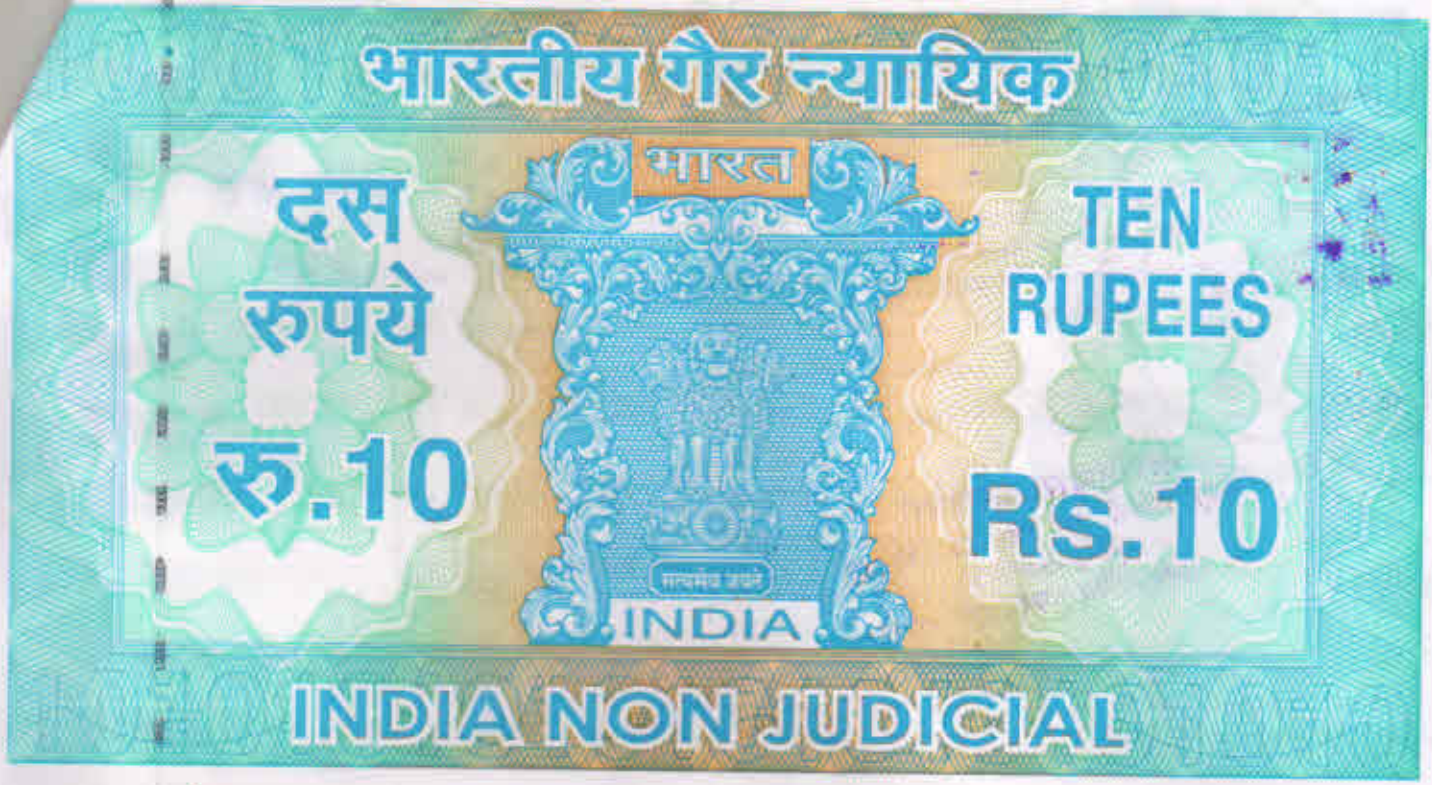

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

47AE 061629

यह जनरल स्टाम्प पेपर सेठ र शिवदयाल शिक्षा संस्थान सिविल लाइन

जिला फर्रुखाबाद फाइल सं0 K-47454

प्रबन्ध समिति की के साथ संलग्न है

सूची वर्ष-2020-21

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स * कानपुर मण्डल, कानपुर (उ0प्र0)

सत्य-प्रतिलिपि

वरि0 सहायक

फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर

22/07/2021

वर्ष 2020 - 21

मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान सिविल लाइन (फूसबंगला) फतेहगढ़, फर्रूखाबाद
प्रबन्ध कार्यकारिणी की नवनिर्वाचित सूची वर्ष 2020–21

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	डा0 नागेन्द्र सिंह	श्री बाबू सिंह	सिविल लाइन फतेहगढ़–, फर्रूखाबाद	चेयरमैन	शिक्षक
2	डा0 प्रीती सिंह	श्री विश्वनाथ सिंह	सिविल लाइन फतेहगढ़– फर्रूखाबाद	वाइस चेयरमैन	शिक्षिका
3	श्री बाबू सिंह	श्री शिवदयाल सिंह	सिविल लाइन फतेहगढ़– फर्रूखाबाद	मैनेजिंग डायरेक्टर	कृषि
4	श्री शिव गोविन्द	श्री विश्वनाथ सिंह	53,एल0एम0को0 सोसायटी, विनायकपुर, कानपुर	डायरेक्टर	कृषि
5	डा0 मीरारानी	श्री बाबू सिंह	सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ	ट्रेजरार	शिक्षिका
6	श्री पंकज यादव	श्री राजा सिंह यादव	127 ए काजी खेरा हरजिंदर नगर कानपुर।	सदस्य	कृषि
7	श्रीमती सावित्री देवी	श्री विश्वनाथ सिंह	53,एल0एम0को0 सोसायटी, विनायकपुर, कानपुर	सदस्य	कृषि

(मुहर: फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स ... कानपुर)

1. डा0 प्रीती सिंह
वाइस चेयरमैन

2. श्री बाबू सिंह
मैनेजिंग डायरेक्टर

मीरारानी
3. डा0 मीरारानी
ट्रेजरार

डा0 नागेन्द्र सिंह
मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान
सिविल लाइन्स (फूल बंगला) फतेहगढ़-फर्रुखाबाद

सत्य-प्रतिलिपि

वरि0 सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर
23/01/21

नियमावली

1. संस्था का नाम :– मेजर शिवदयाल सिंह शिक्षण संस्थान।
2. संस्था का पता :– सिविल लाइन्स (फूस बंगला), फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद (उ० प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश संस्था का कार्यक्षेत्र होगा, सकेगा।

4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग – प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, उम्र से बालिग हो संस्था के उद्देश्यों से आस्था व विश्वास रखता हो, नियमानुसार नियमावली का पालन करने के लिये वचनबद्ध रहे, संस्था का सदस्य बनाया जा सकेगा। सदस्यता हेतु संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम आवेदन करना होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर की संस्तुति पर चेयरमैन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के निर्देश देकर सदस्यता प्रदान की जा सकती है।

(i) आजीवन सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को रु० 51000=00 या समान मूल्य की चल, अचल सम्पत्ति देंगे, वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

(ii) सामान्य सदस्य :– जो व्यक्ति इस संस्था को रु० 11000=00 प्रवेश शुल्क देकर प्रतिवर्ष रु० 1,000=00 वार्षिक शुल्क देंगे, इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

(iii) विशिष्ट सदस्य – संस्था के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी सेवा एवं योगदान के आधार पर संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जा सकेगा। विशिष्ट सदस्यों की सदस्यता निःशुल्क होगी, किन्तु इनकी संख्या चार से अधिक न होगी। दो–दो सदस्य चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकेंगे। इन्हें साधारण सभा का सदस्य माना जायेगा।

(iv) संस्थापक सदस्य :– उन व्यक्तियों के द्वारा संस्था के पंजीयन के समय रु० 1001=00 संस्था को दान दिया जायेगा, उन्हें पंजीयन के समय में दिये गये स्मृति पत्र के सदस्य नामावली में से संस्थापक सदस्य घोषित किया जायेगा, पंजीयन के 10 वर्ष बाद संस्थापक सदस्य नही बनाये जायेंगे।

(5) सदस्यता की समाप्ति :– मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर कोढ़ी या दिवालिया हो जाने पर, न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दण्डित होने पर, सदस्यता शुल्क नियमित न देने पर, संस्था विरोधी कार्य करने पर, बिना पूर्व सूचना के लगातार तीन या इससे अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर त्यागपत्र देने व स्वीकार हो जाने पर, 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर सदस्यता की समाप्ति का निर्णय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन पर साधारण सभा के 2/3 बहुमत से लिया जायेगा।

(6) संस्था के अंग :–

(1) साधारण सभा
(2) प्रबन्धकारिणी समिति

(1) साधारण सभा :–

(अ) गठन :– साधारण सभा का गठन सभी वर्गों के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा, जिसमें निम्न प्रकार के सदस्य शामिल होंगे।

(i) संस्थापक सदस्य (ii) आजीवन सदस्य (iii) सामान्य सदस्य (iv) विशिष्ट सदस्य

सत्य–प्रतिलिपि

जिला रजिस्ट्रार
फर्म, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर

(य) <u>रिक्त स्थानों की पूर्ति</u> :– संस्था की प्रबन्ध कारिणी समिति में हुये आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

(7) <u>प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल, अधिकार व कर्तव्य</u>

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा एवं समिति द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयों व अन्य संस्थाओं की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल भी 05 वर्ष का होगा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च प्रत्येक वर्ष के लिये बजट प्रस्ताव को तैयार एवं पास करायेगी।
3. प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन एवं निलम्बन प्रबन्ध समिति द्वारा नियमानुसार की जायेंगी, जिसके लिये प्रबन्ध समिति के चेयरमैन को अधिकृत किया जायेगा।
4. समिति द्वारा प्रस्तावित आय व्यय को संचालित करना।
5. समिति की विषय वस्तु के निकाय में से या उसके किसी भाग के विक्रय के आगम में से ऐसी धनराशि जैसी कि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से संकल्पित की जाये, भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूंजीगत व्यय करने के लिये खर्च कर सकेगी।
6. समिति को शुल्क, अनुदान, उपहार तथा अन्य धनराशियों का जो भी उसे प्राप्त होगी लेखा देगी और उपकिसी स्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में पदाधिकारियों के निर्देश का पालन करेगी।
7. **संस्था की चल व अचल सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेना तथा उसका रख रखाव करना।**
8. समिति को सम्पत्ति क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को देने, राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंको से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु समिति की वर्तमान एवं भविष्य में प्राप्त (Acquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि बैंक में रखकर बन्धक (Mortgage) कर सकने का अधिकार होगा।
9. समिति को अपनी संस्थाओ को संचालित करने के लिये किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक व अन्य बैंक, वित्तीय संस्थानों, स्थानीय निकायों, अन्य संस्थाओं, व्यक्तियों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों से आवश्यकतानुसार भवन निर्माण व उपकरणों आदि हेतु ऋण एवं बैंक गारन्टी समय-समय पर प्राप्त कर सकेंगे।
10. महाविद्यालय आदि के भवन आदि का निर्माण कराना एवं अन्य व्ययों हेतु राजकीय अनुदान, सांसद/विधायक निधियां लेना तथा दान लेना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों आदि से लोन प्राप्त करना व अन्य समितियों व ट्रस्ट को ऋण व दान देना।
11. समिति को राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार का खाता जैसे चालू खाता, बचत खाता, मियादी जमा खाता, ऋण खाता, गारन्टी खाता इत्यादि खोलने का अधिकार होगा। बैंक खाते का संचालन प्रबन्ध समिति के चेयरमैन के हस्ताक्षरों से होगा। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह बैंक में खाता अपने नाम पर या संचालित संस्थाओं के नाम पर जो भी उचित समझेगी खोलेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर

12. समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का चयन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

13. समिति की चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति पदाधिकारियों व सदस्यों के दान द्वारा समिति के आजीवन सदस्यों, अन्य सदस्यों व समाजसेवियों द्वारा दान प्राप्त (Acquire) होगी।

14. समिति द्वारा बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी लेने के पश्चात बैंक की अदायगी समय से नहीं करने पर बैंक को अधिकार होगा वह समिति की सम्पत्ति को नीलाम करके बैंक की बकाया राशि वसूल कर लेने पर सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

15. समिति को भारत सरकार, राज्य सरकार, सांसदों विधायकों, स्थानीय निकायों आदि के सहयोग से विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा।

16. समिति को अपनी भूमि/अन्य सम्पत्ति को नियमानुसार समिति द्वारा प्रस्तावित/संचालित संस्थाओं के नाम रजिस्टर्ड दानपत्र/पंजीकृत विलेख एवं लीज पर देने का अधिकार होगा।

17. शासन/विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क छात्र-छात्राओं से प्राप्त कर नियमानुसार प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान करना।

18. चेयरमैन द्वारा सरकार एवं अन्य व्यक्तियों से पत्र व्यवहार कराना।

19. कोई धन अथवा सम्पत्ति महाविद्यालय के नाम होगी अथवा ली जायेगी तो धन अथवा सम्पत्ति पर चेयरमैन के माध्यम से प्रबन्ध समिति का अधिकार होगा।

20. संस्था की तरफ से कानूनी कार्यवाही करना या संस्था के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा चलता है तो चेयरमैन के माध्यम से उसकी पैरवी करना।

21. शिक्षा संस्थान के लिये नियमानुसार विभिन्न प्रकार के सदस्य बनाना तथा उनकी सदस्यता की स्वीकृति सुनिश्चित करना।

22. प्रबन्ध समिति को यह भी अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 2/3 सदस्यों की राय से अपनी नियमावली में संशोधन कर सके।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

1. चेयरमैन:-

1. प्रबन्ध समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक करने के लिये जिन्होंने कोई अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन और बैठकों को स्थगित करना।
3. इस बात की देखरेख करना कि इस नियमावली का पालन समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा निष्ठा के साथ कार्यान्वित किया जाय।
4. यदि बैठक में दो पक्षों के बराबर मत हों तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देना।
5. संचालित महाविद्यालय की चल अचल सम्पत्ति भूमि भवन आदि की देखरेख व सुरक्षा करना तथा इससे सम्बन्धित अनुबन्धों दस्तावेजों व शर्तनामों आदि पर संस्था के प्रधान की हैसियत से हस्ताक्षर करना।
6. प्रबन्ध समिति व महाविद्यालय या अन्य संस्थान को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के दान व अनुदान एवं अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना व उनकी प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करना।

सत्य-प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
बरेली